

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा / माध्य / संस्था-एफ-1ए / 12214 / विशेष शिक्षक / 2017

दिनांक - 20.12.17

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

विषय:- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में तृतीय श्रेणी-विशेष शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पंचायती राज के अधीन नियुक्त पात्र शिक्षकों के नियम-6'डी' के तहत चयन के सम्बन्ध में ।

उपयुक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति "राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम-1971" के नियम-6'डी' के तहत पंचायतीराज/प्रारम्भिक शिक्षा के पात्र अध्यापकों के चयनोपरान्त सैट-अप परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा किये जाने का प्रावधान है ।

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों में तृतीय श्रेणी-विशेष शिक्षकों के पद काफी संख्या में रिक्त चल रहे हैं । उक्त बाबत निवेदन है कि इन रिक्त पदों पर पंचायतीराज के अधीन कार्यरत पात्र अध्यापकों की 6'डी' के तहत चयनोपरान्त सैट-अप परिवर्तन द्वारा पदस्थापन की कार्यवाही सम्पादित किये जाने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही के तौर पर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को तृतीय श्रेणी-विशेष शिक्षकों {लेवल-1 तथा लेवल-2 (विषयवार)} की 6'डी' की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें ताकि माध्यमिक शिक्षा विभाग में अध्यापक-विशेष शिक्षा के रिक्त पदों को भरा जा सके ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 2-समस्त उप निदेशक (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक), शिक्षा विभाग को समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु ।
- 3-समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि वे अध्यापक (विशेष शिक्षा) के अपने क्षेत्राधिकार में रिक्त पदों का आवश्यकतानुसार विवरण प्रदान करते हुए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) से पूर्ण समन्वय रखते हुए रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही सम्पादित करावें ।



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

www.rajteachers.com